**संख्या-14/2018/688/46-1-18-1000(57)/2017**

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहॉपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, गोण्डा, बलरामपुर तथा बहराइच।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2018

विषयः- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-23 (सामान्य) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-12/2018/548/46-1-18-1000(57)/2017, दिनांक 22-03-2018 के क्रम में आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. के पत्र संख्या-1896/12-निर्माण:अ.ग्रा.,101 दिनांक 23-03-2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद बागपत के अन्तर्गत एक मात्र सम्पर्क मार्ग हेतु शासनादेश संख्या-1/2018/1591/46-1-17-1000(57)/2017, दिनांक 02-01-2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू. 2.588 लाख स्वीकृत की गयी थी जिसका अन्य विभाग द्वारा कार्य करा दिये जाने के कारण उक्त धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की गयी है किन्तु उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश के संलग्नक-1 के क्रमांक-57 पर उक्त धनराशि रू. 2.588 लाख, अन्य जनपद की सड़कों में पुर्नावंटन हेतु त्रुटिवश ऋणात्मक धनराशि के रूप में अंकित हो गयी है। अतएव उसे शून्य मानते हुये गणनात्मक त्रुटि पर संशोधन जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए यथा प्रस्ताव जनपद बागपत की एक मात्र सम्पर्क मार्ग (यथा-आदर्श नगला जागौस रोड़ से सबगा मार्ग) को उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 22-03-2018 के संलग्नक-3 के क्रमांक-3 द्वारा निरस्त की जा चुकी है। उक्त् सम्पर्क मार्ग हेतु प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृति धनराशि गन्ना आयुक्त की सूचनानुसार सम्बंन्धित कोषागार से आहरित नहीं की गयी है को दृष्टिगत रखते हुये उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-12/2018/549/46-1-18-1000(57)/2017, दिनांक 22-03-2018 के संलग्नक-1 के क्रमांक-57 के स्तम्भ-11 में रू0 2.588 लाख के स्थान पर शून्य तथा तद्क्रम में शेष अन्य स्तम्भों को भी शून्य मानते हुये उसी संलग्नक-1 के कुल योग के स्तम्भ-11 में रू. 1266.678 लाख के स्थान पर रू. 1269.266 लाख तथा तद्क्रम में अन्य शेष स्तम्भों को भी तदनुसार संशोधित समझा जाय। इस प्रकार संलग्नक-1 के स्तम्भ्-11 में सम्मिलित धनराशि रू. 1269.266 लाख एवं

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-2 में नये सम्पर्क मार्गों हेतु कुल धनराशि रू. 233.308 लाख अर्थात कुल धनराशि रू. 1502.574 लाख होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में शासनादेश संख्या-1/2018/1591/46-1-17-1000(57)/2017, दिनांक 02-01-2018 द्वारा जनपद बागपत के एक मात्र सम्पर्क मार्ग जिसे उपरोक्तानुसार निरस्त किया जा चुका है, हेतु स्वीकृत धनराशि रू. 2.588 लाख अब कोषागार से आहरित नहीं की जायेगी।

3- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 22-03-2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त शासनादेश की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेगी।

नरेश बहादुर
विशेष सचिव।

**संख्या-14/2018/688/46-1-18-1000(57)/2017, तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद
3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
5- गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
6- प्रमुख वन संरक्षक, उ.प्र., लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।
8- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
9- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
10- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
11- संबंधित जनपदों के संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।
12- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
13- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
14- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in